ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चन्दरोपा में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमति ममता देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

1	श्री विवेक कुमार	01.04.2021 से 28.10.2021
2.	श्री अशोक कुमार	29.10.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत चन्दरोपा के लेखों अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियतिताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप	0.03

		रोकड़ बही व बैक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना।	
2	6	अनुदान का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	21.73
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना।	0.28
4	8	खनन सामग्री आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में देय रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.21
5	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	0.35
6	11	क्रय की गई सामग्री का स्टॉक में इन्द्राज न करना ।	3.25
7	13	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	08.16

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, लम्बित पैरों के समायोजन से सम्बन्धित पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि चिन्तनीय विषय है। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0सं0	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति
1	3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4.1	अनिर्णीत ।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।
5	5.1(ii)	अनिर्णीत ।

6	6	निर्णीत । वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
7	7	अनिर्णीत ।
8	8	निर्णीत । वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
9	9	अनिर्णीत ।
10	10	अनिर्णीत ।
11	11	अनिर्णीत ।
12	12	अनिर्णीत ।
13	13	अनिर्णीत ।
14	14	अनिर्णीत ।
15	15	अनिर्णीत ।
16	16	अनिर्णीत ।
17	17	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.02.2024 से 17.02.2024, 26.02.24 से 27.02.24 व 04.03.24 से 06.03.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एव व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021–22	03 / 2022	10 / 2021
2022–2023	03 / 2023	07 / 2022

अस्वीकरणः– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख

के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत चन्दरोपा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	260894.00	67665.00	52091.00	380650.00	7118.00	373532.00
2022–23	373532.00	15129.00	27910.00	416571.00	39581.00	376990.00

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत चन्दरोपा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	3123683.00	4275814.60	36177.00	7435674.60	5699631.74	1736042.86
2022–23	1736042.86	5892178.78	186600.00	7814821.64	5641892.78	2172928.86

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source , 5TH SFC,VKVNY, 14th FC,15th FC, SDRF, SDP

A/c No. 99510100005625	HGB Chandropa (15th FC)	1406194
A/c No. 99511700001775	HGB Chandropa14th FC)	3668.12

A/c No. 99511700001757	HGB Chandropa (Own Source, SFC)	93223
A/c No.99511700001766	HGB Chandropa (GCB, VKVNY)	363596
A/C No. 20054005586	KCCB Panchrukhi (GCB)	36837
A/C No. 20125005317	KCCB Rajpur (GCB, 14th FC)	649042
	Cash in hand	0
	Total	**2552560**

Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)		376990
Cash Book Balance on 31.03.2023 (5th sfc, VKVNY, PS)		1543787
Cash Book Balance on 31.03.2023 14th FC		-777052
Cash Book Balance on 31.03.2023 (15th FC)		1406194
	Total	**2549919**
	diffrence	**-2641.22**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष में राशि ₹2641.22 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :—

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय—व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है। दिनांक 31.03.2023 को पंचायत की सभा निधि में **₹**3,76,990/—की राशि शेष थी। अतः अंकेक्षण

अवधि के दौरान कृत व्यय के दृष्टिगत पंचायत निधि में पड़ी अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेशित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 95 दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹21.73 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹21,72,929/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षकों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों

के बिना परादेय/अदत्त (outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार (परिशिष्ट–2) पंचायत का कुल राजस्व ₹ 28,160/– (सम्पत्ति कर ₹ 27,360/– व शादी पंजीकरण शुल्क ₹800/–) वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	38160	27500	65660	60100	5560
2022–23	5560	27850	33410	6050	27360

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 94 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹27,360/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹800/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹ 800/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि। (₹)
1	20	प्रियंका पुत्री श्री सुख देव	28.07.21	11.08.21	200	0	200
2	01	सुनील कुमार पुत्र श्री विजय कुमार	06.12.21	06.01.22	400	200	200
3	05	राकेश कुमार पुत्र श्री विपन कुमार	04.08.22	29.08.22	200	0	200
4	06	विशाल कुमार पुत्र श्री राधे कृष्ण	26.09.22	04.10.22	200	0	200
							800

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान निम्नविवरणानुसार पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि **₹2800/–** वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।**
1	2021–22	1800.00
2	2022–23	1000.00
	कुल :	**2800.00**

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 99 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः प्रश्नात्मक राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. खनन सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.21 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानिः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹21,026/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 96 दिनांक 06.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹21,026/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021—22	रेत	1370	38.79	1.62	62.83	60	3770.00
	बजरी	1725	48.85	1.52	74.25	60	4455.00
	बोल्डर	470	13.31	2.24	29.81	60	1789.00
						कुल :	**10014.00**
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022—23	रेत	800	22.65	1.62	36.69	80	2935.00
	बजरी	830	23.50	1.52	35.72	80	2858.00
	बोल्डर	200	5.66	2.24	12.67	80	1014.00
						कुल :	**6807.00**
				कुल 2021—22 व 2022—23			**16821.00**
					पैनल्टी 25 %		4205.00
					कुल योग:		**21026.00**

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.35 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 35,4859/— के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97 दिनांक 06.03.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.24 द्वारा

अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारणों से अवगत करवाते हुये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
101, 25.10.21	बिल नं0 397 दि0 11.10.21 अमित चौपडा ट्रेडिंग क0	टाईलें	12150.00	नि0 शौचालय आईटट सैन्टर 14th FC
39, 24.04.22	बिल नं0 44 दि0 06.01.22 चौधरी बिल्डर	सरिया	10627.00	नि0 पुली दयोड बस्ती सुनील चन्द के घर के पास 14th FC
113, 31.03.23	बिल नं0 5990 दि0 18.06.22 मै0 गणेश मार्वल	टाईलें	12705.00	नि0 शौचालय बार्ड नं0 5 14th FC
		कुल योग	**35482.00**	

10. सीमेंट के क्रय में ₹798/– के अधिक भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट के क्रय हेतु अधिक भुगतान किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100 दिनांक 06.03.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जायेः–

वाउचर सं0 व दिनांक	प्रोफोर्म बिल सं0 व दिनांक	भुगतान की गई राशि राशि	वास्तविक बिल सं0 व दिनांक	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
पी–1, 12.07.22	13970, 28.04.22	22 बैग सीमेंट दर 335.18 = 7374.00	11057, 01.08.22	18 बैग सीमेंट दर 391.00 = 7038.00	336.00	नि0 रास्ता हरिजन बस्ती 15th FC
पी–2, 12.07.22	, 28.04.22	11 बैग सीमेंट दर 335.18 = 3687.00	11058, 01.08.22	09 बैग सीमेंट दर 391.00 = 3519.00	168.00	नि0 रास्ता मेन रोड से मिलखी राम के घर तक 15th FC
पी–8, 07.11.22	13971, 24.08.22	128 बैग सीमेंट दर 391.00 = 50048.00	366961, 12.01.23	121 बैग सीमेंट दर 411.18 = 49753.00	294.00	नि0 रास्ता प्रेम चन्द की जमीन से केदार नाथ 15th FC
					798.00	

11. क्रय की गई राशि ₹3.25 लाख का स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की गणना/इन्द्राज स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप निर्धारित फार्म 25 से 28 में किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹3,24,900/– के क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्थाई एवं अस्थाई स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों के अनुकूल नहीं है ।

अतः नियमानुसार क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2 दिनांक 06.03.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
17 से 21, 05.05.2021	बिल सं0 143 से 147 दि0 26.04..2021	बैंच	228000.00	रख रखाव बैंच 14वाँ वित्तायोग
पी 3,4,5 14.07.2022	बिल सं0 275 से 277 दि0 11.07.2022	बैंच	96900.00	रख रखाब बैंच 15वाँ वित्तायोग
		कुल योग	324900.00	

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है । अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/1 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दियया जायेगा।

1	नि0 रास्ता हरिजन बस्ती 15th FC
2	नि0 रास्ता मुख्य सडक से मिलखी राम के घर तक 15th FC

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

13. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹8.15 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹8,15,839.86 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	33,65,758.86
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	25,49,919.00
अन्तर	₹	8,15,839.86

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/4 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क्र0–जीपी/सीएच/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है, उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः वर्तमान अन्तर की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

14. प्राप्त अनुदान राशि से ₹7.77 लाख का अधिक व्यय करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2021–22 व 2022–23 में 14वें वित्तायोग में अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत की वित्तीय स्थिति के

अनुसार पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि से ₹7,77,052/– अधिक राशि खर्च की गई, जोकि अनियमित है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
2021-22	1157744	13966	1783620.14	−611910.10
2022-23	−611910.10	157807	322949.00	−777052.14

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/5 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एचसी/2024/02 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दिनांक 01.0.021 को 14वें वित्तायोग का अथशेष दो रोकड़ बहियों में दर्ज था 14वाँ वित्तायोग व जनरल रोकड़ बही 5th State & VKVNY। अतः वर्तमान अंकेक्षण में अथशेष एक ही रोकड़ बही से दिया गया है। अतः 14वें वित्तायोग की अनुदान राशि पूर्णतय व्यय की जा चुकी है इसके अतिरिक्त इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

15. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :—

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार / विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17. **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

18. **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2412- 2416 का0/50 07 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)328/2022–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Chandropa" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC, VKVNY	1634787	233792	0	1868579	410403	1458176
4	14TH FC	1157744	0	13966	1171710	1783620.14	-611910.1
5	15TH FC	331152	583801	22211	937164	0	937164
7	SDRF	0	37500	0	37500	38253	-753
9	SDP	0	150000	0	150000	196634	-46634
13	MNREGA	0	3270721.6	0	3270721.6	3270721.6	0
	Total Rs.	3123683	4275814.6	36177	7435674.6	5699631.74	1736043

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Chandropa" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC, VKVNY	1458176	544262	0	2002438	458651	1543787
4	14TH FC	-611910.14	0	157807	-454103.14	322949	-777052.1
5	15TH FC	937164	851324	28793	1817281	411087	1406194
7	SDRF	-753	27984	0	27231	27231	0
9	SDP	-46634	139758	0	93124	93124	0
13	MNREGA	0	4328850.78	0	4328850.78	4328850.78	0
	Total Rs.	1736042.86	5892178.78	186600	7814821.64	5641892.78	2172929

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, ,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,

A/c No. 99510100005625	HGB Chandropa	1406194
A/c No. 99511700001775	HGB Chandropa 15	3668.12
A/c No. 99511700001757	HGB Chandropa	93223
A/c No.99511700001766	HGB Chandropa	363596
A/C No. 20054005586	KCCB Panchrukhi	36837
A/C No. 20125005317	KCCB Rajpur 14A	649042
cash in hand		0
	Total	2552560

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	376990
Cash Book Balance on 31.03.2022 (5TH sfc, VKVNY, PS)	1543787
Cash Book Balance on 31.03.2022 14th FC	-777052.1
Cash Book Balance on 31.03.2022 (15th FC)	1406194
Total	2549919
diffrence	-2641.22

Mahita Devi

Financial Position of Own sources in r/o GP Chandropa

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	260894	67665	52091	380650	7118	373532
2022-23	373532	15129	27910	416571	39581	376990

Mamta Devi

PRADHAN SECRETARY

GRAM PANCHAYAT CHANDROPA

DEV. BLOCK PANCHRUKHI KANGRA H.P

परिशिष्ट-2
(निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o GP Chandropa
Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-2022	38160	27500	65660	60100	5560
2022-2023	5560	27850	33410	6050	27360

Mamta Devi
ROPA
DEV. BLOCK PAN... KANGRA H.P

परिशिष्ट - 3
(अंकित प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

NAME OF PANCHAYAT CHANDROPA DEV. BLOCK PANCHRUKHI

YEAR 2021-22

Sr. No.	Name Of work	Head	Vendor Name	Voucher No. and Date	Bill No. and Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder (CFT)	Brikcs (Nos)	Amount
1	C/o Path Batwal Basti to Babdi Ward No. 5	14th FC	M/S Gantantr Thakur	79, 25/10/2021	1111 12/07/2021	300	200	0	0	23700
2	C/o Path Batwal Basti to Babdi Ward No. 5	14th FC	M/S Gantantr Thakur	80 Dated 25/10/2021	1114 Dated 23/07/2021	100	100	0	0	4900
3	C/o Path (SC) Basti to Dhram Cand Cow Shed Ward No 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	82 Dated 25/10/2021	1105 Dated 01/07/2021	200	200	0	0	18800
4	C/o Path (SC) Basti to Dhram Cand Cow Shed Ward No 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	83 Dated 25/10/2021	1109 Dated 10/07/2021	230	100	0	0	15770
5	C/o Path Pulli Nala Dohal Near Choudhry Basti ward No. 2	14th FC	M/S Gantantr Thakur	84 Dated 25/10/2021	1113 Dated 14/07/2021	100	240	100	0	19700
6	C/o Path Pulli Khyan Patt Near Deyod Basti Ward No. 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	86 Dated 25/10/2021	1019 Dated 15/05/2021	100	200	0	0	13900
7	C/o Path Pulli Khyan Patt Near Deyod Basti Ward No. 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	88 Dated 25/10/2021	1096 Dated 18/06/2021	90	300	100	0	21900
8	C/o babdi Deyod Basti Ward No. 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	90 Dated 25/10/2021	1035 Dated 16/06/2021	50	185	270	0	21575
9	C/o babdi Deyod Basti Ward No. 3	14th FC	M/S Gantantr Thakur	91 Dated 25/10/2021	1033 Dated 10/05/2021	200	200	0	0	18800
						1370	1725	470		
	2022-23									
10	C/o Path / Kuhal Hansh Raj Land To Road toward	Mnrega	M/S Gantantr Thakur	163 t0 167 Dated 16/08/2022	163 t0 167 Dated 15/06/2022	400	550	200	0	58550
11	C/o Path SC basti Ward No 3	15thFC	M/S Gantantr Thakur	P/13 Dated 24/01/2023	209 Dated 19/09/2022	200	180	0	0	19820
12	C/o Path From Main Road To Milkhi Ram House Towards	15thFC	M/S Gantantr Thakur	P/10 Dated 21/1/2022	202 Dated 01/09/2022	200	100	0	0	15900
						800	830	200		